Rajsathan Police P.S.bagar jhunjhunu	150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA प्रेस नोट दिनांक 20.08.2023	श्री श्याम सिंह आईपीएस पुलिस अधीक्षक जिला झुन्झुनूँ

- झुन्झुनूं पुलिस की बडी कार्यवाही गब्बर गैंग का हिस्ट्रीशीटर 15000 रूपये का ईनामी बदमाशो को गिरफतार किया गया ।
- पुलिस ने गब्बर गैंग के आरोपी देश बंधु उर्फ मोनु, को गिरफतार किया गया ।
- पुलिस ने गब्बर गैंग का गुर्गा संजय सोलाना को गिरफतार किया गया ।
- पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश झाझड़ियां हत्या काण्ड मे गब्बर गैंग का खात्मा सभी अपराधियों को पहुंचाया सलाखों के पिछे।

गिरफतार आरोपी

श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस, सीकर रेंज, श्री सत्येन्द्र सिंह(IPS), श्रीमान पुलिस अधीक्षक जिला झुझुनूं श्री श्यामसिंह (IPS) के निर्देशन, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय झुझुनूं श्री गिरधारीलाल शर्मा (RPS) एवं श्री रोहिताश लाल देवेन्दा (RPS) वृताधिकारी वृत झुन्झुनू ग्रामीण के निकट सुपरविजन में श्री रामनाारायण थानाधिकारी, पुलिस थाना बगड़ के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये थाना हाजा के अभियोग संख्या 204/2022 धारा 147,148,149,341,426,506,302 आईपीसी में वांछित आरोपी देश बंधु उफ मोनु व संजय को जयपुर से दस्तयाब कर गिरफतार किया गया है।

घटना विवरणः–दिनांक 10.09.2022 को परिवादी श्री महेन्द्रसिंह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई की दिनांक 09.09.22 को सायं 8 बजे के करीब मेरे पुत्र पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष राकेश झाझडिया निवासी भडौन्दा खुर्द थाना बगड की आरोपीगण दिनेश मालसरिया, अरविन्द गब्बर, प्रदीप मांगवा, देशबन्धु, रवि बलौदा, विश्वबन्धु, अजीत बाबा, उमेश बाबल, सोनू, इमरान, मन्जीत झाझडिया, रमेश कुमार, कुलदीप व एक अन्य द्वारा काटली नदी रोही भडौन्दा खुर्द जाने वाले ग्रेवल रास्ते पर बोलेरो कैम्परो से टक्कर मारकर राकेश को नीचे उतारकर सरिये पाईप व लाठियों से गम्भीर रूप से मारपीट की। जिसको बाद में अस्पताल ले जाया गया जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिस पर प्रकरण दर्ज कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया।

गठित टीमों द्वारा कारवाईः– **श्रीमान पुलिस अधीक्षक के द्वारा घटना को गम्भीरता से लेते हुये टीमो का गठन किया गया।** थानाधिकारी बगड रामनारायण उपनिरीक्षक के नेतृत्व में प्रकरण में वांछित मुल्जिमानों की तलाश सीकर, जयपुर,

सुरत, अहमदाबाद, उदयपुर, दिल्लीमें टीम के द्वारा उक्त ठिकानों पर दबीशे दी गई। दौराने तलाश प्रकरण के मुख्य आरोपियों को दस्तायाब करने के लिये टीम द्वारा सादा वस्त्रों में टीम के द्वारा रैकी की गई। प्रकरण के मुख्य आरोपी देशबंधु उर्फ मोनुके करीब 5 महिने पहले गुजरात, आन्ध्रपदेश, महाराष्ट्र राज्य में चलने वाली ट्रेनो में भीख मांगकर जीवन व्यापन करने स्त्रोत मिले।टीम के द्वारा सम्बन्धित ट्रेनो के बारे में जानकारी प्राप्त कर मुखबीर मामूर किये गये। तत्पश्चात आरोपी द्वारा जयपुर शहर में न्यु लोहामण्डी इलाके में रहकर लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को बिनकर उनको कबाड़ी में बेचकर वहीं पर गुजारा करना तथा न्यु लोहामण्डी में ही फुटपाथ पर भीखारियों की तरह रहने के ईनपुट मिले। जिसके संबंध में टीम के द्वारा आसूचना एकत्रित की गई तथा मुखबीर मामुर कर उनसे सूचना प्राप्त की गई। दौराने तलाश थानाधिकारी को मुखबीर खास से सुचना मिली कि देशबंधु उर्फ मोनु व संजय सोलाना दोनो जने न्यु लोहामण्डी गणेश नगर कृष्णा विहार जयपुर में दिनभर घुम फिरकर लोहे के कचरे को बिनने का काम करते है तथा शाम को न्यु लोहा मण्डी में ही फुटपाथ पर सो जाते है जो करीब 5–6 महिनों से भिखारियों की तरह रह रहे है तथा अपनी पहचान छुपा रखी है। इत्यादि सुचना विश्वसनीय होने पर थानाधिकारी बगड मय जाप्ता द्वारा न्यु लोहा मण्डी में रातभर रैकी कर तलाश की गई तथा फुटपाथ पर सो रहे लोगो को चैक किया तो दो नोजवान लड़के फटे पुराने कपड़ों में रोड़ के पास फुटपाथ पर सोते हुये दिखाई दिये जिनको चैक किया राकेश हत्याकाण्ड में वांछित आरोपी देशबंधु उर्फ मोनु व संजय कुमार मिले। आरोपी देशबंधुउर्फमोनु पुत्र बलवीर, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी नुंद, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चुरू हाल गोलाईमोड़ के पासवार्ड न. 23 झुन्झुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू व संजय कुमार पुत्र विजय कुमार, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी सोलाना, पुलिस थाना सुल्ताना को न्यु लोहा मण्ढी जयपुर से टीम के भरसक प्रयासों के दस्तायाब किया गया। आरोपी देश बंधु उर्फ मोनु द्वारा घटना के बाद से लगातार जयपुर, उदयपुर,गुजरात में सुरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुम्बई में चलने वाली ट्रेनो में फरारी काटना सामने आया है।

आरोपी देशबंधु उर्फ मोनु द्वारा प्रकरण के अन्य उसके साथी गिरफतार होने पर गिरफतारी के डर से करीब 3 महिनों तक जयपुर, उदयपुर, गुजरात में सुरत, अहमदाबाद, हैदराबाद, मुम्बईमें चलने वाली ट्रेनो में भिख मांगकर भिखारी के रूप में पहचान छुपाकर जीवन यापन किया उसके बाद वहां से पुलिस के डर से व आर्थिक तंगी के कारण जयपुर में आ गया वहां पर येन केन करके उसने प्रकरण में फरार आरोपी संजय निवासी सोलाना से सम्पर्क किया जो उसको लोहामण्डी में पहले से लोहे के टुकडे बिनकर अपना गुजारा करता हुआ मिला, उसके बाद देशबंधु उर्फ मोनु व संजय दोनो न्यु लोहामण्डी में साथ साथ भिख मांगने लगे तथा लोहे के टुकडे बिनकर उनको कबाड़ी में बेचकर अपना जीवन यापन करने लगे। दोनो शाम को न्यु लोहामण्डी गणेश नगर में रोड़ के फुटपाथ पर रहकर जीवन यापन करते थे।

राकेश हत्याकाण्ड में शामिल सभी 23 आरोपियों को गिरफतार किया जा चुका है। गौरतलब है कि उक्त हत्याकाण्ड में शामिल सभी आरोपीगण अपनी आर्थिक तंगी के कारण ऐसे काम करके जीवन यापन किया था जो काम हर कोई करना पसंद नही करता है ज्यादातर आरोपी जैसे गैंग का मुखिया अरविंद उर्फ गब्बर ने मुर्गी चुराकर पेट भरना, रवि बलौदा, दिनेश मालसरियां, व मंजीत झाझड़ियां ने दिल्ली में शौचालयों में सफाई करके पेटभर खाना खाया, विक्रम लोटासरा ने खाली बोतलों को बिनकर कबाड़ी में काम करना सामने आया तथा रमेश कुमार द्वारा होटल पर चाय के कप धोकर पेट भरने जैसे काम करके फरारी काटी थी।

प्रकरण में वांछित आरोपी कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर है जिसके द्वारा करीब एक माह पहले भी पुर्व छात्र नेता को धमकाया था, उसके संबंध में कोतवाली थाने पर प्रकरण दर्ज है।

प्रकरण हाजा में अब तक कुल 23 आरोपियो की गिरफतारी हो चुकी है।गब्बर गैंग के सभी सदस्यों को गिरफतार कर सलाखों के पिछे भेजे जा चुके है। जिनमे मुख्य आरोपी तथा आरोपियो को सहयोग करने, शरण देने एवं षडयंत्र मे शामिल आरोपी शामिल है। गिरफतार आरोपियो को माननीय न्यायालय मे पेश कर पुलिस रिमाण्ड पर लिया जायेगा।

गिरफतार आरोपीः–

01. देशबंधु उर्फ मोनु पुत्र बलवीर, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी नुंद, पुलिस थाना हमीरवास, जिला चुरू हाल गोलाई मोड़ के पास वार्ड न. 23 झुन्झुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
02. संजय कुमार पुत्र विजय कुमार, जाति जाट, उम्र 23 साल, निवासी सोलाना, पुलिस थाना सुल्ताना, जिला झुन्झुनू।

गठितटीमकाविवरणः–

1. श्री रामनारायण उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना बगड
2. श्री नरेन्द्रसिंह सहायक उपनिरीक्षक, पुलिस थान ाकोतवाली झुन्झुनू
3- श्री दिनेश कुमार मुख्य आरक्षी नम्बर 81 साईबर सैल झुन्झुनू
4- श्री चेनाराम कानि 286 पुलिस थाना बगड़
5- श्री रूपेन्द्र कुमार कानि 1044 पुलिस थाना बगड
6- श्री विकास कुमार आरक्षी नम्बर 1139, पुलिस थाना बगड़

पुलिस नियंत्रण कक्ष
जिला झुन्झुनॅू